

2018/00114
PCMS
10.5.18

NFL/1331
10.5.18

12/18
10.5.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय न्याय आयोग द्वारा 2018 फोर क्वेश्चन कितनोरिया
चौहटम

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कालू की बेरी की जमाबन्दी

संवत् 2071-2074 खाता संख्या 17 में -

प्रार्थी चुलरा पुत्र चिमा में मौजा कालू की बेरी
एकड़ क्षेत्र कितनोरिया के खेत खसरा नम्बर 420 रकबा
327.19 बघिा का आया हुआ है जिसमें संवत् 2063-2066 की
जमाबन्दी में 104, 114, 121, 126 नामांतरण खोले गये
जिसमें नामांतरण संख्या 126 खोलते वक्त बिना किसी
दस्तावेज दिया प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड से नाम हटा दिया
गया इसके बाद संवत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी में मेरा
नाम कभी आया ही नहीं है तथा इसके मेरा राजस्व रेकर्ड से
पृथक् रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त हरि को सही
करने हेतु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

हम जगन्नाथ पुत्र चिमा, मंगलपारम व. 9 नरसिंहराव
नारायण व. नारायण भाति नि 2 नोरी कालू 7899, 6099
2 वषे निवासी काठ की बेरी शिपत 2 वषे जमाबन्दी में
कि चुलरा कालू चिमा के साथ 6 मादी लपुका
नरसिंही 2 डि मौजा कालू की बेरी 420 रकबा
जिाका 9 बीघा काभी हुआ है जिसके चुलरा कालू
मेरा का वाला डि डि 160 है जो कि जमाबन्दी
नान लपुका चुल जमा था, हम लपुकी लपुका
चुलरा कालू चिमा 160 डि डि कालाग चुलरा
मेरे डि वाला निव. चुलरा व. चिमा का डि है



(मल्लिकार्जुन)
सरपंच
गायत कितनोरिया
क (बाइमर)

जगन्नाथ पुत्र चिमा

12/18
10.5.18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्राची - चुतरा 80 चिमा लॉस 19200 की खासिदारी कृति
 नौजा जालू की बेरी के खण 420 रकबा 327-19 बीघा में 1/60
 नौजा जालू की बेरी की जमाकरी सन 2063-66 के खालास 28
 में दर्ज थी लेकिन पश्चात्प्रवृत्ति जमाकरी सन 2067-70 के
 खालास 18 में तैयार करने वकत लिख चुतरा 80 चिमा का 1/60
 हिं दर्ज नही हो पाया यात्रि की लिखने से छूट गया उसका
 की जमाकरी सन 2071-74 के खालास 17 में भी प्राची नौजा
 चुतरा वल्द चिमा हिं 1/60 नहीं लिखा गया। इस सम्बन्ध में चेक
 के जांच की जाई, खानाब कर्मिडे के अनुसार प्राची चुतरा वल्द
 चिमा का 1/60 हिं दर्ज करने की सिफारिश की जाती है।
 रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

दखायी 12 में निरीमड की जांच रिपोर्ट के समुच्च साक्ष्य
 दातापेजों के आधार पर प्राची का नाम वर्तमान जमाकरी
 के खालास 17 में चुतरा नं 420 रकबा 327-19 बीघा में
 चुतरा वल्द चिमा हिं 1/60 दर्ज करने की अनुशंसा
 की जाती है।

आदेश

तहसीलदार सेइवा I CR क्रमिया पटवारी कितनोशिया से प्राप्त जांच
 रिपोर्ट एवं प्राची द्वारा पत्रावली के साथ पत्र साक्ष्य संपूर्ण के आधार
 पर प्राची का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राची का नाम वर्तमान जमाकरी
 के खालास 17 में चुतरा नं 420 रकबा 327-19 बीघा में प्राची चुतरा वल्द
 चिमा का नाम तथा प्राची का 1/60 हिस्सा दर्ज करे का आदेश
 दिये जाते हैं। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दफ्त
 कले का तहसीलदार सेइवा को आदेश दिया जाता है पत्रावली
 फिल श्रुमार होकर दाखिल वफत हो।



.....
 उपखण्ड अधिकारी
 चोइल